

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस



मि०न० - 12/2017

अनवान : -

सुन्दर पत्नि दुनीराम जाति जाट निवासी गुसाईयाना व अन्य  
बनाम

-अपीलांट

राजकौरी बेवा श्योचन्द जाति जाट निवासी गुसाईयाना व अन्य

-रेस्पोंडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट व प्रार्थना पत्र  
धारा 5 भियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र 96 रीपीसी  
उपरिस्थिति :- श्री कृष्ण गर्ग अपीलाण्ट  
श्री मदनलाल सोनी रेस्पोंडेंट

दिनांक: 04.11.22

### निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रामजीलाल व गणपत पि० लक्ष्मी  
दो भाईयों की चक 3 एनटीआर में 30-08 बीघा व चक 1 बीआरडब्ल्यू में 13-16 बीघा  
बहिस्सा बराबर पुख्ता अलॉट शुदा कृषि भूमि हुआ करती थी जिसकी समस्त किरत सयकत  
पर दाखिल करने पर दोनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हो गये थे। मौजूदा  
मौल चक 1 बीआरडब्ल्यू की खातेदारी की बाबत है जिसमें चक 1 बीआरडब्ल्यू के मु०न०  
94 के किला न० 1, 6 ता 9, 10, 12, 13 ता 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24 की कुल  
13-16 बीघा वाद भूमि है। उक्त वाद भूमि रामजीलाल व गणपत दोनों भाईयों के नाम  
बहिस्सा बराबर दर्ज थी। रामजीलाल के तीन बेटे दुनीराम, ताराचन्द, श्योचन्द उर्फ  
शिवनन्द हुये। अपीलांट दुनीराम के वारिसान है जबकि रेस्पोंडेंट ताराचन्द व श्योचन्द के  
वारिसान है। रामजीलाल का भाई गणपत कुवारा फौत हुआ था जिसकी सेवा चाकरी  
दुनीराम पुत्र रामजीलाल जो अपीलांट 01 का पति तथा अपीलांट 2 ता 8 के पिता है क  
द्वारा की जाती थी। गणपतराम ने दुनीराम की सेवा चाकरी से खुश होकर दोनों आराजी  
यथा चक 3 एनटीआर व चक 1 बीआरडब्ल्यू व रौही गुसाईयाना की भूमि की एक वसीयत  
दिनांक 07.02.1966 को दुनीराम के पक्ष में लिखवाकर सब रजिस्टार रितरसा के यहा  
तस्दीक करवा दी थी। इस प्रकार गणपत की मृत्यु के बाद उसके जायजाद का हकदार  
अपीलांट का पिता दुनीराम हुआ व आराजी काश्त करता रहा। लेकिन अपीलांट के पिता  
दुनीराम भोला भाला किस्म का होने के कारण तथा ताराचन्द व श्योचन्द चालाक प्रवृत्ति का  
होने के कारण गुपचुप तरीके से गणपतराम के हिस्से की आराजी का नामान्तरण  
रामजीलाल वल्द लेखू के नाम नामान्तरण सं० 24 दिनांक 16.10.1977 अमल दरामद करवा  
लिया व उसी दिन नामान्तरण सं० 25 अपने नाम दर्ज करवा ली। जिसकी सुचना दुनीराम  
व उसके वारिसानों को नहीं लगने दी और ना ही उक्त नामान्तरण के संबंध में राम  
जीलाल नेटराना ने कोई सूचना या नोटिस दुनीराम को दी। इस प्रकार नामान्तरण सं० 25  
कतई अवैध खिलाफ कानून होने के कारण काबिल अपारस्तनीय है। क्योंकि उक्त सूचना  
करने से पूर्व अपीलाण्ट को कभी नोटिस या सुचना नहीं दी गई थी। इसलिए वे



2016 तक लगभग 23 वर्षों तक अपील प्रस्तुत नहीं की। दुनीराम की मृत्यु के बाद अपील 2017 में लगभग 1 साल 7 महीने बाद पेश की गई है। उक्त दावा में एक रजिनामा दावा दायरी के दिन ही पेश किया गया है जिसमें परिवार के सभी लोग हाजिर हुये है इस प्रकार दुनीराम के परिवार अथवा अपीलांत को विवादित नामान्तरण की जानकारी भी 1993 में हो गई थी। रेस्पॉडेण्ट द्वारा एक वाद न्यायालय सिविल न्यायाधिश भादरा में कलावती आदि बनाम सुन्दर आदि इस अनुतोष के साथ पेश किया गया जिसमें अपीलांत द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त दावा मियाद बाहर है और वसीयत की जानकारी 1973 को ही उक्त दावा की वादीगण को हो गई। इस प्रकार स्वयं प्रार्थीगण भी जानकारी के तथ्य स्वीकार करते हैं और कार्यवाही को मियाद बाहर मानते हैं। माननीय उच्च न्यायालय में डी सी सिविल अपील सं० 688/2016 जिसमें उक्त अपीलांत सभी पक्षकार थे जो दिनांक 17.10.2016 को निर्णित हो चुकी है इस प्रकार 1993 में अपील की मियाद प्रारम्भ हो गई थी तथा ना ही अपीलांत द्वारा 1993 से 2016 तक का ऐसा स्पष्ट कारण दिया है कि अपील मियाद स्वतः ही रुक गई हो इसलिए उक्त अपील मियाद बाधित होने के कारण खारिज है। अतः अपील अपीलांत खारिज किये जाने का निवेदन है। इस हेतु अधिवक्ता रेस्पॉडेण्ट द्वारा आरआरटी 2013(1) पेज 61, डीएनजे (राज) 2017 (3) पेज 1054, डीएनजे (राज) 2016 (1) पेज 201, डीएनजे (एस.सी) 2014 पेज 467, आरआरटी 2017 (2) पेज 1355, नजीरें प्रस्तुत की गई। अंत में रेस्पॉडेण्ट अधिवक्ता ने अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारन अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों व जवाब के साथ-साथ अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का आदर पूर्वक परिशीलन किया गया। हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि उक्त अपील नामान्तरण तस्दीक के लगभग 40 वर्ष के बाद प्रस्तुत की गई है, इसलिए अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र व 98 सीपीसी प्रार्थना प्रस्तुत किया है। सीपीसी के आदेश 41 नियम 3ए के उपनियम (2) में यह प्रावधान है कि अपील का निस्तारण करने से पूर्व मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जायेगा। जिसके संदर्भ में आरबीजे -2006(13) पेज -78 में माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस मत की पुष्टि की है व इसी मत की पुष्टि में निम्न न्यायिक दृष्टांतों में की गई है-

1. आरबीजे-2019(26)पेज-276 (राज.एच.सी)
2. आरआरटी-2020(1)पेज-352 (राजस्व मंडल)
3. आरबीजे-2019(548)पेज-548 (राज.एच.सी)
4. 14-1-2020 आरआरडी पेज -21

इस प्रकार उपरोक्त दृष्टान्तों में इस मत की पुष्टि की गई है कि अपील का निर्णय करने से पूर्व सीपीसी के आदेश 41 नियम 3ए के तहत मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निस्तारित किया जाना चाहिए। इसलिए अपील के निर्णय से पूर्व उपरोक्त

ती (राजस्व)  
रहनुमानगढ़।

विवेचानुसार अपील में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व 96 सीपीसी का निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। वकील अपीलांट ने अपने तथ्यों में बताया है कि अपीलांट के पिता द्वारा लगभग नामान्तरण के 16 वर्षों के बाद न्यायालय हाजा में एक बार प्रस्तुत किया था। न्यायालय हाजा में विचाराधीन दावा 226/16(168/1993) बअनुवारी दुनीराम बनाम श्योनन्द आदि का अवलोकन भी किया गया प्रस्तुत प्रकरण दुनीराम के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88-53 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। जिससे साबित है कि अपीलांट के पिता को नामान्तरण दर्ज होने की जानकारी 1993 से ही थी। अपीलांट ने अपने किसी भी दस्तावेजों में ये स्वीकार नहीं किया है कि उनके पिता उनसे अलग रहते थे जिससे उन्हें उक्त वाद अथवा नामान्तरण तस्दीक की जानकारी नहीं हुई थी। नामान्तरण तस्दीक के लगभग 40 वर्षों बाद व वाद प्रस्तुति के लगभग 23 वर्षों के बाद अपील प्रस्तुत करने का ये कारण कि अपीलांट को अपील की कानूनी जानकारी नहीं थी, पर्याप्त नहीं है। अपीलांट के पिता द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायालय 226/16(168/1993) बअनुवारी दुनीराम बनाम श्योनन्द आदि न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें हक हिस्सा की घोषणा होनी है तथा साक्ष्य सुनवाई के बाद पक्षकारान का हक हिस्सा निर्धारित होना है जिसकी निरन्तर सुनवाई न्यायालय हाजा में जैरकार है। इस प्रकार यह तथ्य कतई स्वीकार योग्य नहीं है कि अपीलांट अथवा इनमें से किसी भी सदस्य को नामान्तरण अथवा वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण दर्ज नहीं होने की जानकारी नहीं थी क्योंकि मद संख्या 10 में अपीलांट स्वयं स्वीकार कर आये है कि निर्धारित अवधि में इन्तकाल की अपील नहीं कर सके। अतः यह कथन अपीलांट का न्यायोचित प्रतित नहीं होता है। अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तरण तस्दीक के लगभग 40 वर्षों अथवा 14,600 दिनों के बाद प्रस्तुत की गई है। न्यायालय को उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 व प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी किसी भी तरीके से अपीलांट के पक्ष में प्रतित नहीं होते हैं। इस हेतु न्यायालय हाजा द्वारा निम्न नजीरों का अवलोकन किया गया-

1. 2010(2) आरआरटी 801 (एस.सी) में 3 दिन के विलम्ब को उचित कारण नहीं दर्शाने के कारण मियाद बाहर मानकर खारिज कर दिया, हस्तगत प्रकरण में भी नहीं दर्शाया गया है।
2. 1997 आरआरडी 350 स्टेट बनाम सुखदेव में राज्य सरकार की 63 दिन देरी से बिना औचित्य स्पष्ट किये पेश अपील को मियाद बाहर मानकर खारिज कर दिया।
3. 2002 आरआरडी 632 केन्द्र सरकार बनाम बिजलाल व अन्य में केन्द्र सरकार द्वारा 83 दिनों की देरी के अपर्याप्त एवं समुचित कारण नहीं होने के कारण अपील अन्दर मियाद नहीं मानते हुए खारिज कर दिया।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार व वर्णित दृष्टांतों का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अपील देरी से प्रस्तुत करने के लिए दिये गये कारण पर्याप्त विश्वसनीय एवं संतोषजनक कारण बताना आवश्यक था परन्तु ना ही अपीलांट


आधिकारी (राजस्व,  
जिला-हनुमानगढ़)

द्वारा किये गये कथन साबित होते हैं चूकिं नामान्तरण तस्दीक अवधि तथा न्यायालय हाजा में दायर दावा की अवधि क्रमशः 40 वर्ष तथा 23 वर्ष तक लम्बी होने के कारण मियाद अधिनियम बिन्दू को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र 96 सीपीस में प्रस्तुत तथ्य अपूर्ण है क्योंकि प्रस्तुत अपील 2017 में पेश की गई। 40 वर्षों के पश्चात पेश की गई अपील में धारा 5 के प्रदत्त यह देखा जाना आवश्यक है कि इतनी लम्बी अवधि से अपील पेश किये जाने का पर्याप्त हैतुक दर्शाया जावे। अपीलाण्ट द्वारा इतने अधिक वर्षों से हुई देरी का कोई पर्याप्त, संतोषजनक व विश्वसनीय कारण नहीं दर्शाया गया है। प्रकरण में गुण अवगुण पर निर्णय करने से पूर्व मियाद अधिनियम को इस प्रकार से पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दिनांक 16.10.1977 के नामान्तरण व उसके पश्चात की गई राजस्व रिकॉर्ड की कार्यवाही को अपील के समरी ट्रायल के माध्यम से निर्णित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः न्यायालय रेस्पोंडेन्ट द्वारा दिये गये तर्कों से समर्थन रखते हुए व अपीलाण्ट द्वारा अपील को अत्यंत देरी से पेश किये जाने के कोई संतोषप्रद कारण नहीं दर्शाने व अपील अपीलांट मियाद अवधि से बाहर होने एवं कानून की दृष्टि से बलहीन होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं होने पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक ...०५.११.२०२० को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में



  
(शकुंतला चौधरी)  
उपसुपडिधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़